



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

### सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-3836/MP/621/2024-RO-BH

दिनांक: 11.09.2025

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला-भोपाल,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,  
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश  
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

**विषय:** अनावेदकगणों द्वारा आवेदक की निजी कृषि भूमि पर किये गये कब्जे को हटवाते हुये कब्जा दिलाने तथा सभी अनावेदकगण के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में- श्री जितेन्द्र गौड़, ग्राम-तारा सेवनिया, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभ्यावेदन।

**संदर्भ 1:** आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.01.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री. अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 19.09.2025** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

*Chetan*  
11.9.2025

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in  
द्वरभाष: 011-24615012

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

श्री जितेन्द्र गौड़,  
ग्राम-तारा सेवनिया, तहसील-हुजूर,  
जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में  
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।